संख्या : 484 / IV(1) / 2010–01(02) / 2010

प्रेषक,

एस. राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–1 देहरादून :दिनांक :30 दिसम्बर, 2010

विषयः–पालिका केन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ के देयकों की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1257 / श.वि.नि. / पेंशन का पुनरीक्षण / 32के.से. / 09 दिनांक 14.12.2009 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–262 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 27.8.2009 एवं शहरी विकास विभाग के शासनादेश संख्या–1190 / IV(1) / 2009–01(72) / 2008 दिनांक 16.10.2009 द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के कार्मिकों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किए गये हैं। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 419 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27.10.2008 के द्वारा दिनांक 01.01.2006 को अथवा इसके पश्चात एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 421 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27.10.2008 के द्वारा दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / पारिवारिक पेंशन / राशिकरण / ग्रेच्युटी के नियमों व दरों को पुनरीक्षित किया गया है। "उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1981" (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) के नियम–4 व नियम–7 के प्राविधानानुसार, पालिका केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को पेंशन / पारिवारिक पेंशन / उपादान राज्य सरकार के कार्मिकों हेतु निर्धारित नियमों एवं सूत्रों के अनुसार ही अनुमन्य किए जाने की व्यवस्था है।

2. अतएव उपरोक्त पृष्ठभूमि में श्री राज्यपाल प्रदेश के स्थानीय निकायों के पालिका केन्द्रीयित सेवा के सेवानिवृत्त पेंशनर्स हेतु पेंशन / पारिवारिक पेंशन / राशिकरण / ग्रेच्युटी की दरों को छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से वित्त विभाग के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप संख्या–419 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27.10.2008 एवं संख्या–421 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27.10.2008 की व्यवस्थानुसार दिनांक 01.01.2006 से पूर्व दिनांक 01.01.2006 तथा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त कार्मिकों को उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवानिवृत्त लाभ सेवानियमावली 1981(यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) के नियम–4 व नियम–7 के प्राविधानानुसार पालिका केन्द्रीयत सेवा के कार्मिकों को पेंशन / पारिवारिक पेंशन / उपादान एवं अन्य व्यवस्थायें राज्य सरकार के सेवानिवृत्त पेंशनरों हेतु निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन संशोधित / पुनरीक्षित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्तवत् पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 से उक्त वर्ग के पेंशनर्स को महँगाई राहत शासनादेश संख्या–420 / XXVII(7) / म0रा0 / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के अनुसार अनुमन्य होगा जिसमें से अपुनरीक्षित पेंशन पर समय–समय पर अनुमन्य महँगाई राहत का समायोजन करके ही अवशेष धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

4. पेंशन का निर्धारण राज्य सरकार के पेंशनरों हेतु समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेश एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार किया जायेगा।

5. उक्तानुसार दरों के संशोधन / पुनरीक्षण के फलस्वरूप धनराशि का वहन आपके नियंत्रणाधीन "उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि" से किया जाएगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता पृथक से प्रदान नहीं की जाएगी।

badoni

6. उक्तानुसार दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप उक्त निधि से समस्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को अवशेष राशि का भुगतान एकमुश्त करने में यदि वित्तीय कठिनाई हो तो आप द्वारा अपने स्तर पर एक सूत्र/नीति निर्धारित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष एवं अगले दो वित्तीय वर्षों में अवशेष/ऐरियर का पूर्ण भुगतान किये जाने पर विचार कर लिया जाए।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 3009/XXVII(7)/2010 दिनांक : 27.12.2010 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या :५८५ (1)/IV(1)/2010 तद्दिनांक।30/12/10

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा. शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त (वे0आ0–सा0वि–7 अनु)
10. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि इस शासनादेश को उत्तराखण्ड की वैबसाइट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निधि मणि त्रिपाठी)
अपर सचिव।

badoni